न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 124/2022 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण:–

1.सुमार पुत्र दातू 2.मुमन पुत्र सायब
जाति मुसलमान, निवासी गांधीनगर
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1.अचलाराम पुत्र जेठा 2.गोरधनराम पुत्र हरदानराम
3.जगदीश पुत्र पूनमाराम 4.जोगाराम पुत्र हरदानराम
5.टीमूदेवी पत्नि पूनमाराम 6.दलाराम पुत्र जेठा
7.देवाराम पुत्र पूनमाराम 8.नानगाराम पुत्र मोतीराम
9.निम्बाराम पुत्र जेठा 10.बाबूराम पुत्र मोतीराम
11.मूलाराम पुत्र हरदानराम 12.राणा पुत्र आईदान
13.हड़ूमान पुत्र रूपा 14.हड़ुमानराम पुत्र मोतीराम
15.हरदानराम पुत्र अमराराम, जाति जाट
निवासी दीनगढ़, तहसील धनाऊ
16.तहसीलदार धनाऊ।

वकील प्रार्थीगण :– श्री फताराम गोदाराम

वकील विप्रार्थीगण :– श्री ठाकराराम कड़वासरा (विप्रार्थी सं. 1 से 2, 4 से 8, 10 से 15)

निर्णय

दिनांक 23.12.2022

प्रार्थीगण सुमार पुत्र दातू वगैरा जाति मुसलमान, निवासी गांधीनगर, तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण [illegible] काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा गांधीनगर, तहसील [illegible] खसरा नं. 853/463 रकबा 12.9499 हैक्टेयर का आया हुआ है। [illegible] कब्जा काश्त है, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

रहवासी ढाणी, टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 440 मौजा गांधीनगर में से रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये रजि.एडी. नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण सं. 1 से 2, 4 से 8, 10 से 15 की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकरराम कड़वासरा ने वकालतनामा पेश किया । शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की ओर से रास्ते के संबंध में तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया। जिसे स्वीकार कर तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया ।

विप्रार्थी सं. 1 से 2, 4 से 8, 10 से 15 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि हम विप्रार्थी सं. 1 से 2, 4 से 8, 10 से 15 बिना कोई प्रतिफल प्राप्त किये हुए प्रार्थीगण को रास्ता देने हेतु तैयार है।

तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 2, 4 से 8, 10 से 15 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है, तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जावे।

विप्रार्थी सं. 1 से 2, 4 से 8, 10 से 15 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि हमें प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार है। हम बिना कोई प्रतिफल प्राप्त किये हुए अपने हिस्से की भूमि में से रास्ते के लिए समाविष्ट भूमि का रकबा देने हेतु तैयार है। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , अ[illegible] स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है :–

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	440	46.5388 (287.10 बीघा)	बा.सो.	20 फीट	02.09 बीघा	गांधीनगर	अचलाराम पुत्र जेठा 1/16, गोरधनराम पुत्र हरदानराम 1/32, जगदीश पुत्र पूनमाराम 1/32, जोगाराम पुत्र हरदानराम 1/32, टीमूदेवी पत्नि पूनमाराम 1/24, दलाराम पुत्र जेठा 1/16, देवाराम पुत्र पूनमाराम 1/24, नानगाराम पुत्र मोतीराम 1/48, निम्बाराम पुत्र जेठा 1/16, बाबूराम पुत्र मोतीराम 1/48, मूलाराम पुत्र हरदानराम 1/32, राणा पुत्र आईदान 1/4, हडूमान पुत्र रूपा 1/4, हनुमानराम पुत्र मोतीराम 1/48, हरदानराम पुत्र अमराराम 1/32, जातियान सुथार, सा.देह खातेदार

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को खसरा नं. 440 के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि [illegible] होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि [illegible] भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दोगुना [illegible] होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर [illegible]गण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(SDO) चौहटन

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

7. विप्रार्थी सं. 1 से 2, 4 से 8, 10 से 15 उक्त रास्ते हेतु किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं करना चाहते है। अतः विप्रार्थी सं. 1 से 2, 4 से 8, 10 से 15 के हिस्से में से रास्ता हेतु समाविष्ट भूमि का प्रतिफल देय नहीं होगा तथा शेष विप्रार्थीगण सं. 3 व 9 को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 23.12.2022 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथ राम ॥)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:58 IST
Reason: SelfAttested

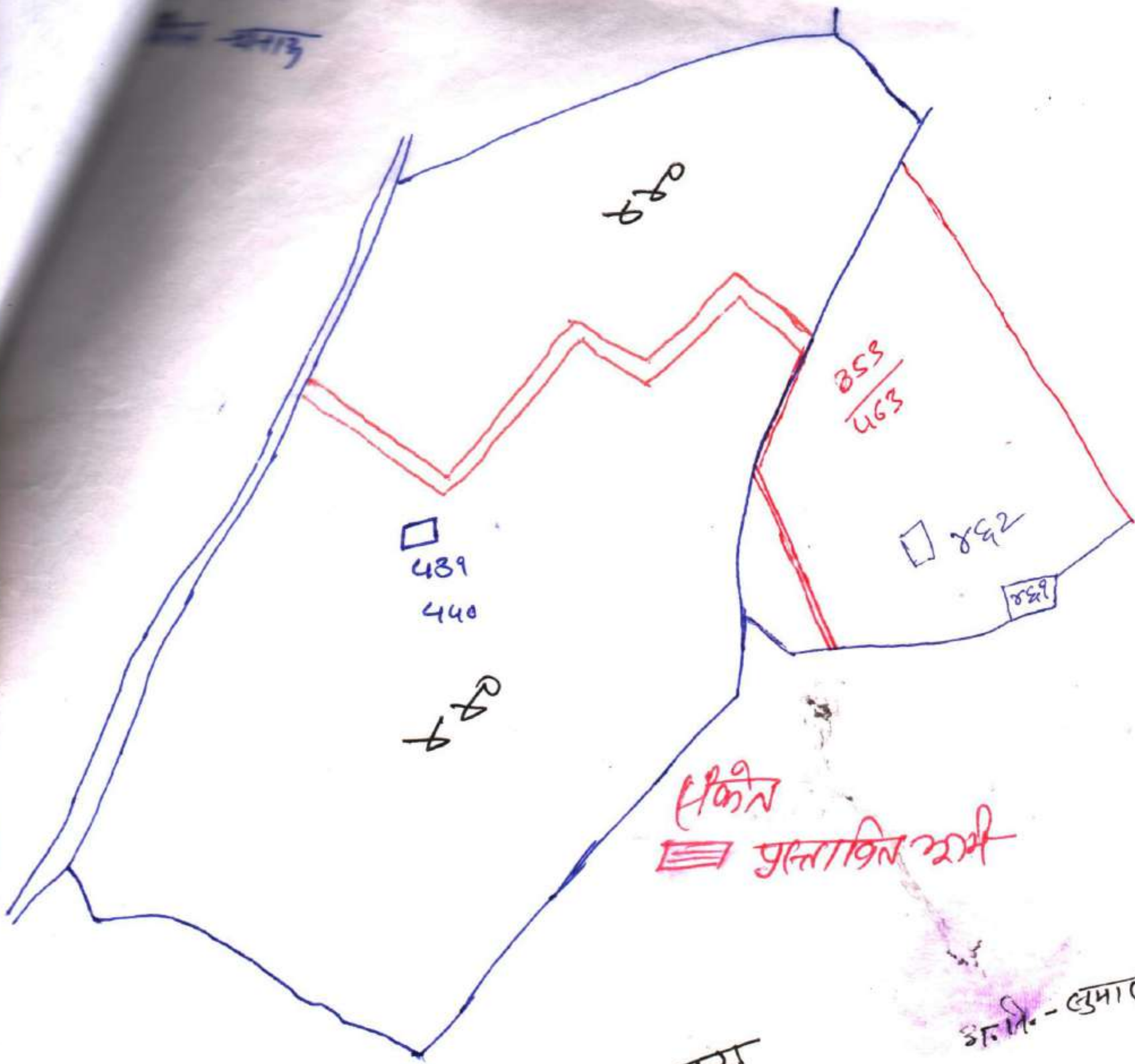

क्रमांक 320 / 21/11/22

21-11-22
(जोगाराम)
पटवारी (भू.अ.) एल आर सी
तहसील धनाऊ (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

21/11/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:58 IST
Reason: SelfAttested